E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com
cfgarhwal555@gmail.com
Phone/Fex 01368-222566
वन मित्र कॉल सेंटर–9208008000

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः— 1837/12-1 दिनांक, पौड़ी, दिसम्बर, 31 ,2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :— कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/ 9783/2015

संदर्भ:— प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 3184/12—1 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा वॉछित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:—

क्र०सं०	आपत्ति	उत्तरालेख
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल॰ए॰ दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट—। के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी।अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।
2-	In reply to point no. 6, it is mentioned that the land of village Ghatora & Koti is involved in the construction of the proposed road and the proceedings of the meeting of Gram Sabha under FRA is enclosed. Further, it is seen that the proceeding of the meeting of Gram Sabha under FRA is submitted for Ghatora GP consisting of Ghatora village & Koti village only but the Gram Sabha proceeding for Bamiyala village mentioned in para-B-2.3 online part-a has not been submitted.	ग्राम बमियाला का Village level committee (VLC) FRA certificate (0.105 हे॰ आरक्षित वन) संलग्न करते हुए पार्ट—। के क्रम संख्या K (a) में अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक—1 पेज 2 से 9)**

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार 11 पेज।

भवदीय,

(जी0के0रस्तोगी)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Surjeet

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3184 / 12- , दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर, 22 /2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौडी।

विषय :– कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 3618/10एल0ए0 दिनांक 21.12.2016 व पत्रांक 3644/10एल0ए0 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल.ए. दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट–I के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।
2-	In reply to point no. 6, it is mentioned that the land of village Ghatora & Koti is involved in the construction of the proposed road and the proceedings of the meeting of Gram Sabha under FRA is enclosed. Further, it is seen that the proceeding of the meeting of Gram Sabha under FRA is submitted for Ghatora GP consisting of Ghatora village & Koti village only but the Gram Sabha proceeding for Bamiyala village mentioned in para-B-2.3 online part-a has not been submitted.	ग्राम बमियाला का Village level committee (VLC) FRA certificate (0.105 हे. आरक्षित वन) संलग्न करते हुए पार्ट–I के क्रम संख्या K (a) में अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 पेज 2 से 9)**

आप अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– प्रस्तावक विभाग की पत्र के साथ संलग्न की प्रति।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3644 / 10(ला०ए०) दिनांक 22 / 12 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :— **कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :— **EDS Dated 22 December 2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल.ए. दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट–I के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः उक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/16

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

22/12/16 22/12/16

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 14 / 01 /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.099 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.

(f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

1.6(b)

Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)

<u>Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006</u>

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ..१४-०१-२०१५... At ..[illegible] at Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the **<u>Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli</u>** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र 23.2

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ......चमोली......परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (.0.105 .हे. आरक्षित वन भूमि 0.378 .हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/2015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] सिंह नेगी उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ( ) अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य,
3– श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत ...कोटी... सदस्य,
5– श्री [illegible] पुरोहित वन अधिकार समिति अध्यक्ष
6 श्रीमती [illegible] वन अधिकार समिति सदस्य
7 श्री [illegible] सिंह नेगी

कर्णप्रयाग (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1.099 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

[illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत कौठी बैण्ड से दतौडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.019 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग। प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली

1.6(d)

प्रपत्र--23.1

परियोजना का नामः-- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण --पत्र
ग्राम पंचायत का नामः-- घतोडा,
तहसील -- कर्णप्रयाग, जिला-- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेत (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......घतोडा... द्वारा दिनांक ......06/01/2015.... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत घतोडा, वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली))

(हस्ताक्षर) 7/1/15
क्षेत्र अधिकारी
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह/-

ग्राम सचिव.   ग्राम प्रधान– घतोडा,

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनाक 26/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – घतोडा,

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	सर्व श्री रघुवीर सिंह कोटियाल	रघुवीर सिंह
2–	" प्रताप सिंह नेगी	Psnegi
3–	" नन्दन सिंह कोटियाल	नन्दनसिंह
4–	" अवतार सिंह नेगी	अवतार सिंह
5–	" प्रेम सिंह पवार	प्रेम सिं.
(6)	महिपाल सिंह पवार	[illegible]
(7)	दिगम्बर सिंह नेगी	[illegible]
(8)	पुष्कर सिंह पवार	[illegible]
(9)	वीरेन्द्र सिंह पवार	वीरेन्द्र सिंह
(10)	कुलदीप सिंह नेगी	Kuldeep Singh
(11)	सरिता देवी	सरिता देवी
(12)	सुनीता देवी	सुनीता देवी

प्रधान ग्राम पंचायत घतोडा
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

उप प्रधान
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र— 23.1

परियोजना का नाम:—

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम [illegible]

तहसील नारायणबगड़ जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कोटी बगड़ से कलोड़ा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.105 हे0 आरक्षितवनभूमि X हे0 सिविल सोयमभूमि X हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल 0.105 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा दिनांक 13/06/2016 को सम्पन्न ग्रामसभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [illegible] के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.105 आरक्षित वन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/— 13/06/2016
ग्रामसचिव

ह0/— 12/06/2016
ग्रामसचिव

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र— 23.1

दिनांक 13/06/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मानसिंह	मानसिंह
2	जगतसिंह	जगतसिंह
3	रघुवीर	[illegible]
4	भवर सिंह	[illegible]
5	प्रेम सिंह	[illegible]
6	गुमान सिंह	[illegible]
7	जिते सिंह	जीत सिंह
8	उदय सिंह	उदय सिंह
9	मोहन सिंह	मोहन सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11	बलवन्त सिंह	[illegible]
12	लाल सिंह	लाल सिंह
13	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14	महिपाल	महीपाल सिंह
15	केसर सिंह	[illegible]

ह0.
वन पंचायत सरपंच
जिते सिंह

ह0/
ग्रामप्रधान
12/09/016